

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्री मनोज

विपक्षी :- श्री नोजीराम

किस्म मुकदमा - 53 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 124 / 20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण				हस्ताक्षर जारी करने की तिथि
	<p>दिनांक : 26.09.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादीगण पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वादीगण सहमत होने से वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादीगण से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।</p> <p>परिणामस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा नाहरमगरा पटवार हल्का नाहरमगरा की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है:-</p>				
क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	
1	मनोज पुत्र मोहनलाल जाति कुमावत नि. आदर्शनगर पुला तह. गिर्वा जिला उदयपुर के बजाय :- शिवप्रसाद सिंह राव पिता श्रीराम राव निवासी 427/2 राव कॉलोनी, अम्बामाता मंदिर के पास उदयपुर	686/1	0.1975	बा.प्र.	
	योग	किता 1	0.1975	-	
2	चन्दनदवे पुत्र ललितकुमार दवे जाति ब्राह्मण नि. 36 आचार्य मार्ग सिरोही बाड चान्दपोल उदयपुर	686/3	0.1975	बा.प्र.	
	योग	किता 1	0.1975	-	
3	जमना पुत्री देवीलाल जाति दर्जी सा. सालेराकलां	686/2	0.1975	बा.प्र.	
	योग	किता 1	0.1975	-	
4	नोजीराम पुत्र देवीलाल जाति दर्जी सा. सालेराकलां रहन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डबोक	686	0.3949	बा.प्र.	
	योग	किता 1	0.3949	-	
	<p>नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फाईल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>				



अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 124/20 (वाद) GCMS No. : 2020/00274

उनवान

1. श्री मनोज पिता मोहनलाल कुमावत निवासी आदर्श कॉलोनी, पुला तह. गिर्वा के बजाय :-
श्री शिवप्रसाद सिंह राव पिता श्रीराम राव राजपूत निवासी 427/2 राव कॉलोनी, अम्बामाता मंदिर के पास उदयपुर।
2. श्री चन्दनदवे पिता ललित कुमार दवे ब्राह्मण निवासी 36 आचार्य मार्ग सिरोहीवाडा चान्दपोल उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री नोजीराम पिता देवीलाल दर्जी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
2. श्रीमती जमना पुत्री देवीलाल पत्नी मनीष दर्जी निवासी सालेराकलां, हाल अहमदाबाद चमनपुरा पत्रावाली चॉल, ब्लॉक नम्बर 252 अहमदाबाद जिला अहमदाबाद।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.09.2023 को श्रीकान्त व्यास, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा नाहरमगरा पटवार हल्का नाहरमगरा की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म
1	मनोज पुत्र मोहनलाल जाति कुमावत नि. आदर्शनगर पुला तह. गिर्वा जिला उदयपुर के बजाय :- शिवप्रसाद सिंह राव पिता श्रीराम राव निवासी 427/2 राव कॉलोनी, अम्बामाता मंदिर के पास उदयपुर	686/1	0.1975	बा.प्र.
	योग	किता 1	0.1975	—
2	चन्दनदवे पुत्र ललितकुमार दवे जाति ब्राह्मण नि. 36 आचार्य मार्ग सिरोही बाड चान्दपोल उदयपुर	686/3	0.1975	बा.प्र.
	योग	किता 1	0.1975	—
3	जमना पुत्री देवीलाल जाति दर्जी सा. सालेराकलां	686/2	0.1975	बा.प्र.
	योग	किता 1	0.1975	—
4	नोजीराम पुत्र देवीलाल जाति दर्जी सा. सालेराकलां रहन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डबोक	686	0.3949	बा.प्र.
	योग	किता 1	0.3949	—

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 26.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली